न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री आई0डी0सं02002/4513/चुरू

1–सुलेमान खां
2–इनायत खां
3–इब्राहीम खां
पुत्र अल्लादीन खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू

———अपीलार्थीगण

बनाम

1–भवरू खां पुत्र स्व0जमाल खां मृत्तक जरिये वारिसानः–
1/1–फूलेखां पुत्र भवरू खां
1/2–रणजी खां पुत्र भवरू खां
1/3–जले खां पुत्र भवरू खां
1/4–बाबू खां पुत्र भवरू खां
1/5–मुराद खां पुत्र भवरू खां
1/6–फरीद खां पुत्र भवरू खां
जाति कायमखानी मुसलमान निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू
1/7–मु0उमराव पुत्री भवरू खां पत्नी मुस्ताक खां निवासी जसवंतगढ़ तहसील व जिला नागौर
1/8–मु0हजारा पुत्री भवरू खां पत्नी अहमद खां निवासी शोभासर जिला चुरू
2–यासीन खां पुत्र स्व0जमाल खां
3–पीरू खां पुत्र स्व0जमाल खां
4–अहमद खां पुत्र स्व0जमाल खां
जाति कायमखानी मुसलमान निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सुजानगढ़

———प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
डॉ0 जी0के0तिवारी, सदस्य
श्री बी0एल0गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः
श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री जे0के0पन्त, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं02 से 4
श्री आर0के0गुप्ता, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं01 के वारिसान के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही

दिनांक 16 फरवरी, 2012

निर्णय

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (एतदपश्चात संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 224 के अन्तर्गत यह द्वितीय अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा अपील सं046/2000 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 24–5–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा एवं भू विभाजन हेतु अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद सहायक कलेक्टर सुजानगढ़ के न्यायालय में संस्थित किया गया। सहायक कलेक्टर सुजानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 30–7–1991 से वाद को स्वीकार करते हुए खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा एवं भू विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। सहायक कलेक्टर के इस निर्णय से क्षुब्द्ध होकर अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष 'अधिनियम' की धारा 223 के अन्तर्गत प्रथम अपील दायर की, जिसे आलोच्य निर्णय से खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दायर की गयी है।

3– उक्त सम्बंध में उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया गया।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के पिता उल्लादीन खां वल्द जीवण खां की एक मात्र खातेदारी स्वामित्व की भूमि थी जिस पर प्रत्यर्थी/वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं था। सभी राजस्व अभिलेख में यह भूमि अपीलार्थीगण के पिता अल्लादीन खां के नाम पर दर्ज रही है। केवल सम्वत 2018 से 2020 की खसरा गिरदावरी में मिलीभगत से साक्ष्य सर्जित करने के उद्देश्य से प्रत्यर्थीगण के पिता जमाल खां का नाम काश्तकार के रूप में अवैध रूप से अंकित करवाया गया। इस जमाबन्दी सम्वत 2014 में भी अनुचित रूप से अल्लादीन खां के साथ जमाल खां ने कृषक के रूप में अपना नाम दर्ज करवा दिया लेकिन केवल इन दो प्रविष्टियों के आधार पर जमाल खां अथवा उसके वारिसान को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। समस्त राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि

अपीलार्थीगण व उनके पिता के नाम पर ही खातेदारी हक से दर्ज है परन्तु विचारण न्यायालय एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि एवं कानून से परे जाकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत वाद में कुल चार तनकीयात कायम की गयी परन्तु इन तनकियों का सही विवेचन नहीं किया गया है। यह भूमि कभी भी पुश्तैनी भूमि नहीं रही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इसे पुश्तैनी भूमि मान लिया है, जो त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष है। अधीनस्थ न्यायालय ने 'अधिनियम' की धारा 212 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा किये गये कमिश्नर की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी/वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा मान लिया है जबकि 'अधिनियम' की धारा 212 के अन्तर्गत न तो कमिश्नर द्वारा मौका देखने का प्रावधान है तथा न ही कमिश्नर की मौका रिपोर्ट के आधार पर वादीगण के पक्ष में कब्जे का निर्धारण किया जा सकता है। कब्जे का तथ्य वादी को स्वंय साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है जो नहीं किया गया है। सम्वत 2018 से 2020 की गिरदावरी में मनमाने तरीके से जो काश्तकार की प्रविष्टि की गयी है वह भू राजस्व अधिनियम के तहत तदर्थ निर्मित नियमों के प्रतिकूल है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष समर्थन में 1988 आरआरडी 425 तथा 2009 आरआरडी 322 का उद्धहरण प्रस्तुत किया। यह भी तर्क दिया गया कि तथाकथित आधिपत्य के आधार पर वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता। इस कथन के समर्थन में योग्य अधिवक्ता ने 2000 आरआरडी 95 का उद्धहरण प्रस्तुत किया। योग्य अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब साक्ष्य की अनदेखी करते हुए विधि विपरीत निर्णय दिया जावे तब अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निर्णय में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने इस कथन के समर्थन में 1989 आरआरडी 168, 527, 2005 ए0आई0आर (एस0सी0)3079 व 2006 आर0एल0आर0(3)419 का उद्धहरण प्रस्तुत किया। योग्य अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए दावा खारिज करने का अनुरोध किया।

5— प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसके केवल 2 बीधा पर ही वादी का कब्जा है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। जमाबन्दी सम्वत 2014 में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है परन्तु बाद में इस नाम को मनमाने तरीके से हटा दिया गया। विवादित भूमि

जागीर की भूमि है तथा वादी की खुदकाश्त भूमि थी। खुदकाश्त भूमि सदैव से ही मौरूसी होती है। यह भी तर्क दिया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निर्णय हैं जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में 2007 आरआरटी(1)732 का उद्धहरण प्रस्तुत किया तथा आलोच्य निर्णय को अहस्तक्षेपनीय बताया।

6— हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, आलोच्य निर्णय तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली में सलंग्न राजस्व अभिलेख यथा खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2047(Ex.A 5), जमाबन्दी सम्वत 2011 से 13 (Ex.A 9), जमाबन्दी सम्वत 2031 (Ex.A 7) तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2022 से 2025 (Ex.A 3) तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2026 से 2029(Ex.A 2) तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2013(Ex.A 4) में विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पिता अल्लादीन खां के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2036 (Ex.A 6) में विवादित भूमि अपीलार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। इससे यह प्रमाणित है कि सम्वत 2011 से ही वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रही है परन्तु केवल खसरा गिरदावरी सम्वत 2018 से 2020 में जमाल खां का नाम भी 2 बीधा विवादित भूमि पर उपकाश्तकार के रूप में दर्ज है। इसके अलावा जमाबन्दी सम्वत 2014 (Ex.A 5) में खातेदार के रूप में विवादित भूमि का अंकन अपीलार्थीगण के पिता अल्लादीन खां के नाम पर किया गया है परन्तु काश्तकार के कालम में जमाल खां का नाम दर्ज है। प्रत्यर्थी/वादीगण ने केवल इन दो अभिलेखों (खसरा गिरदावरी सम्वत 2018 से 2020 तथा जमाबन्दी सम्वत 2011) के आधार पर वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा चाही है। यह ज्ञातव्य एवं महत्वपूर्ण है कि इन दो सरसरी प्रविष्टियों के अलावा समस्त राजस्व अभिलेख में सम्वत 2011 से लेकर आदिनांक तक अल्लादीन खां व पुत्र (अपीलार्थीगण) के नाम पर ही यह भूमि समस्त राजस्व अभिलेख एवं खसरा गिरदावरी में दर्ज रही है। ऐसी स्थिति में केवल इन दो आकस्मिक प्रविष्टियों के आधार पर प्रत्यर्थी/वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते

क्योंकि ये प्रविष्टियॉ बिना सक्षम अधिकारी अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश के मनमाने तौर पर की गयी हैं जिनका कोई विधिक आधार नहीं है।

8— अधीनस्थ न्यायालय ने 'अधिनियम' की धारा 212 के अन्तर्गत कमिश्नर से प्राप्त पर्चा मौका की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी/वादीगण का कब्जा मानते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं, जो त्रुटिपूर्ण है। प्रथमतः तो किसी पक्षकार के पक्ष में अधिपत्य निर्धारण के लिए न तो कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है तथा न ही इस बाबत प्राप्त कमिश्नर रिपोर्ट की कोई अहमियत है। द्वितीयतः यह तथाकथित कमिश्नर की रिपोर्ट 'अधिनियम' की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में प्राप्त की गयी है जिसके आधार पर किसी वाद को स्वीकार कर डिक्री जारी नहीं की जा सकती। इस बारे में 2000 आरआरडी 95 (नन्दलाल व अन्य बनाम राजस्व मण्डल व अन्य) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था समीचीन होने से इस प्रकरण में ग्राहय है।

9— योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि विवादित भूमि जागीर की भूमि है तथा पक्षकारों की मौरूसी भूमि है। इस सन्दर्भ में इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि प्रत्यर्थी/वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह कहीं पर भी अभिकथन (प्लीडिंग) अंकित नहीं किया है कि विवादित भूमि जागीर की भूमि है तथा पक्षकारों की मौरूसी भूमि है। वादग्रस्त भूमि के जागीर भूमि होने के सम्बंध में कोई तनकी कायम नहीं की गयी है तथा न ही इस भूमि के मौरूसी भूमि होने के बारे में कोई तनकी का निर्धारण किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में इस द्वितीय अपील के स्तर पर विवादित भूमि के जागीर भूमि अथवा मौरूसी भूमि होने के सन्दर्भ में योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का कोई तर्क मान्य नहीं है।

10— योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निर्णय हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस सन्दर्भ में इस न्यायालय की विद्वान खण्ड पीठ ने राज्य सरकार बनाम श्रीमती कुनपावतजी 1989 आरआरडी 527 में यह अभिनिर्धारित किया है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल एवं अनुचित (perverse) हों तो द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसके अलावा 2007(1)डीएनजे राज0 210, 2003 (2)डब्लू0एल0सी0(एस0सी0)सिविल 333 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय साक्ष्य समर्थित नहीं होने तथा विधि विपरीत होने की स्थिति में द्वितीय अपील की स्टेज पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। जैसा कि उपरोक्त विवेचन से सुस्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया निष्कर्ष साक्ष्य समर्थित नहीं है तथा अनुचित है अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

11— निष्कर्षतः अपील स्वीकार की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के आलोच्य निर्णय दिनांक 24—5—2002 तथा सहायक कलेक्टर सुजानगढ़ के निर्णय दिनांक 30—7—1991 को अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी/वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी0एल0गुप्ता)
सदस्य

(डॉ0जी0के0तिवारी)
सदस्य